भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2487
दिनांक 13 मार्च, 2025

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा सीएसआर

†2487. श्री आनंद भदौरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के वित्तपोषण का वर्ष-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा सीएसआर वित्तपोषण प्राप्तकर्ताओं का वर्ष-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों से सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए सरकार द्वारा कम्पनी-वार क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम कम्पनियों से सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ताओं के चयन में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं का वर्ष-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): विगत पांच वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में सार्वजानिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंडिंग के वर्ष-वार और कंपनी वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू. में)

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	योग
ओएनजीसी	607	553	458	476	635	602	3331
आईओसीएल	543	460	298	264	458	298	2321
बीपीसीएल	346	145	138	129	158	122	1038
एचपीसीएल	182	156	136	155	76	37	742
गेल	125	148	205	99	176	111	864
ओआईएल	125	105	164	98	123	100	715

एमआरपीएल	76	25	10	9	20	19	159
एनआरएल	63	53	59	74	94	57	400
सीपीसीएल	17	2	10	6	20	17	72
ईआईएल	11	13	34	6	12	1	77
बीएल	5	5	10	4	4	3	31
योग	**2101**	**1665**	**1521**	**1320**	**1776**	**1367**	**9750**

* जनवरी 2025 की समाप्ति पर स्थिति के अनुसार

(ख) से (घ): कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत अभिज्ञात शीर्षों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए सीएसआर कार्यकलाप किए जाते हैं। सीएसआर, एक बोर्ड आधारित प्रक्रिया है और कम्पनी के बोर्ड को सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, संस्वीकृति देने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सीएसआर कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा स्वयं अथवा एजेंसियों/केंद्र/राज्य सरकारों के विभाग द्वारा किए जाते हैं ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों तथा उसपर खर्च की गई धनराशि के कार्यकलाप/राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी-वार ब्यौरे संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की संबंधित वेबसाइटों अर्थात www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.gailonline.com, www.engineersindia.com, www.nrl.co.in, www.mrpl.co.in, www.cpcl.co.in, www.balmerlawrie.com, www.oil-india.com पर उपलब्ध हैं।

कार्यान्वयन एजंसी/सीएसआर धनराशि के प्राप्तकर्ताओं का चयन कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत परिभाषित सीएसआर नियमों के मानदंडों के आधार पर किया जाता है। सीएसआर कार्यान्वयन संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उनका निदान पीएसयू नीति/ दिशानिर्देशों के अनुरूप उस परियोजना के लिए कार्य आदेश, समझौता ज्ञापन की विनियमों और शर्तों के सदर्भ में मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।

****